न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 255/2025

1. किशोर कुमार जांगिड पुत्र श्री बजरंगलाल जांगिड, जाति जांगिड, निवासी चारां का बास, तहसील नवलगढ।
2. अरूण चाहर पुत्र श्री रामनाथ चाहर, जाति जाट, निवासी चारां का बास, तहसील नवलगढ।
3. आकाश शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी परसरामपुरा, तहसील नवलगढ।
4. सत्यप्रकाश टेलर पुत्र श्री अर्जुनलाल टेलर, जाति दर्जी, निवासी परसरामपुरा, तहसील नवलगढ।
5. चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी परसरामपुरा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील नवलगढ।
2. सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, नवलगढ।

––रेस्पोडेन्ट्स

———

प्रथम विरूद्व आदेश दिनांक 24.02.2025 न्यायालय तहसीलदार, नवलगढ, मु0नं0 5/2024, अ0धा0 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

———

उपस्थित :–

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.04.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, नवलगढ के आदेश दिनांक 24.02.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 सी0पी0सी0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 सी0पी0सी0 पर पूर्व में सुनवाई कर दिनांक 06.10.2025 स्वीकर किये जा चुके है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान न्यायालय तहसीलदार नवलगढ द्वारा दिनांक 24.02.2025 को एक आदेश पारित किया गया है जिसमे धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम परसरामपुरा, पटवार हल्का परसरामपुरा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 2724 रकबा 0.0300 हैक्टर स्थित किस्म गै0मु0 नदी मे सम्पूर्ण रकबा 0.03 हैक्टर भूमि (जिस पर कुआ/नलकूप बना हुआ है) सरकारी भूमि पर जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग (पी0एच0ई0डी0), नवलगढ को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त मुतनाजा आराजी से भौतिक रूप से बेदखल कर सरकारी भूमि का अतिक्रमण मुक्त किये जाने के आदेश दिये गये। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को आदेशित किया गया कि अप्रार्थी जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग (पी0एच0ई0डी0) जरिये सहायक अभियन्ता को सरकारी भूमि से बेदखल कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर पालना रिपोर्ट पेश करें। संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को इस आशय की तहरीर जारी हो। न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश कानूनी प्रावधानों व राज्य के हितों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण गलत रूप से जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग (पी0एच0ई0डी0) के

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

विरूद्व दर्ज किया गया जो पोषणीय नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजस्थान राज्य के जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग (पी0एच0ई0डी0) का अधिकारी है जिसके द्वारा अपने पदीय हैषियत से किया गया कोई भी कार्य राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना मे तथा पदीय कर्तव्यों की पालना मे किया गया होता है। राज्य सरकार की भूमि पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक हितार्थ किया गया कार्य अतिक्रमण की श्रेणी मे नही आता है। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 2724 रकबा 0.0300 हैक्टर पर विभागीय नलकूप बनाया गया था जो 13.–14 वर्ष पूर्व बनाया गया था। जबसे यह नलकूप बनाया गया था तब से उस पर विघुत कनेक्शन होकर नलकूप का उपयोग सार्वजनिक रूप से गांव की पेयजल आपर्ति हेतु किया जा रहा है। उक्त नलकूप से गांव परसरामपुरा मे पेयजल आपर्ति की जाती है। राजस्व नक्शा मे भी उक्त कुआ दर्शित है तथा मौके पर भी सार्वजनिक नलकूप है जिसको सुचारू रखना पेयजल आपर्ति हेतु अति आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा लोक हितार्थ नलकूप बनाये जाने को अनाधिकृत अतिक्रमण मानकर गंभीर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग (पी0एच0ई0डी0), द्वारा राज्य सरकार के कोष से सार्वजनिक हितार्थ ब्यूबवैल निर्माण किये गये है। इस कार्य मे आम जनता का धन जो राजकोष मे जमा है का हिस्सा खर्च हुआ है। उक्त कार्य राज्य सरकार की अनुमति से तथा आदेशों व निर्देशों के तहत किये गये है। उक्त कार्य किसी अधिकारी या विभाग द्वारा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नही किये गये है बल्कि लोक हितार्थ किये गये है जो कतई अतिक्रमण नही हो सकते है। धारा 88 राज0 भू राजस्व अधिनियम के अनुसार समस्त सडके, सरकारी ट्यूबवैल, तालाब, सरोवर आदि और समस्त भूमियां जो दूसरे की सम्पत्ति नही है वे सरकारी सम्पत्ति है। राज्य सरकार की सम्पत्ति व सरकारी भूमि मे कोई अन्तर नही हो सकता है। राज्य सरकार की सम्पत्ति पर राज्य सरकार द्वारा किया गया सार्वजनिक हितार्थ विकास कार्य को अतिक्रमण मानकर, राज्य सरकार के विभाग को अतिक्रमी घोषित किया जाना व बेदखली के आदेश किये जाना घोर कानून विरूद्व है तथा अधिकार क्षेत्र की त्रुटि है। इसलिए उक्त आदेश दिनांक 24.02.2025 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 24.02.2025, मु0न0 5/2024, उनवानी सरकार बनाम सहायक अभियन्ता, पी0एच0ई0डी0, नवलगढ को निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण गलत रूप से जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग (पी0एच0ई0डी0) के विरूद्व दर्ज किया गया जो पोषणीय नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजस्थान राज्य के जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग (पी0एच0ई0डी0) का अधिकारी है जिसके द्वारा अपने पदीय हैषियत से किया गया कोई भी कार्य राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना मे तथा पदीय कर्तव्यों की पालना मे किया गया होता है। राज्य सरकार की भूमि पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक हितार्थ किया गया कार्य अतिक्रमण की श्रेणी मे नही आता है। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 2724 रकबा 0.0300 हैक्टर पर विभागीय नलकूप बनाया गया था जो 13.–14 वर्ष पूर्व बनाया गाय था। जबसे यह नलकूप बनाया गया था तब से उस पर विघुत कनेक्शन होकर नलकूप का उपयोग सार्वजनिक रूप से गांव की पेयजल आपर्ति हेतु किया जा रहा है। उक्त नलकूप से गांव परसरामपुरा मे पेयजल आपर्ति की जाती है। राजस्व नक्शा मे भी उक्त कुआ दर्शित है तथा मौके पर भी सार्वजनिक नलकूप है जिसको सुचारू रखना पेयजल आपर्ति हेतु अति आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा लोक हितार्थ नलकूप बनाये जाने को अनाधिकृत अतिक्रमण मानकर गंभीर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग (पी0एच0ई0डी0), द्वारा राज्य सरकार के कोष से सार्वजनिक हितार्थ ब्यूबवैल निर्माण किये गये है। इस कार्य मे आम जनता का धन जो राजकोष मे जमा है का हिस्सा खर्च हुआ है। उक्त कार्य राज्य सरकार की अनुमति से तथा आदेशों व निर्देशों के तहत किये गये है। उक्त कार्य किसी अधिकारी या विभाग द्वारा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नही किये गये है बल्कि लोक हितार्थ किये गये है जो कतई अतिक्रमण नही हो सकते है। धारा 88 राज0 भू राजस्व

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अधिनियम के अनुसार समस्त सडके, सरकारी ट्यूबवैल, तालाब, सरोवर आदि और समस्त भूमियां जो दूसरे की सम्पत्ति नही है वे सरकारी सम्पत्ति है। राज्य सरकार की सम्पत्ति व सरकारी भूमि मे कोई अन्तर नही हो सकता है। राज्य सरकार की सम्पत्ति पर राज्य सरकार द्वारा किया गया सार्वजनिक हितार्थ विकास कार्य को अतिक्रमण मानकर, राज्य सरकार के विभाग को अतिक्रमी घोषित किया जाना व बेदखली के आदेश किये जाना घोर कानून विरूद्व है तथा अधिकार क्षेत्र की त्रुटि है। इसलिए उक्त आदेश दिनांक 24.02.2025 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील स्वीकार कर उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 24.02.2025, मु0न0 5/2024, उनवानी सरकार बनाम सहायक अभियन्ता, पी0एच0ई0डी0, नवलगढ को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने ग्राम परसारामपुरा स्थित भूमि ख0न0 2724 रकबा 0.03 है0 किस्म गैर मुमकीन नदी में सम्पूर्ण रकबा 0.03 हैक्टर भूमि (जिस पर कुआं/नलकूप बना हुआ है) मे अवैध अतिक्रमण कर रखा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने गैर मुमकीन नदी की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्टस के कथनों का समर्थन करते हुये अपीलान्टस की अपील स्वीकर किये जाने का कथन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को ग्राम परसारामपुरा स्थित भूमि ख0न0 2724 रकबा 0.03 है0 किस्म गैर मुमकीन नदी में सम्पूर्ण रकबा 0.03 हैक्टर (जिस पर कुआं/नलकूप बना हुआ है) भूमि पर अतिक्रमी माना है। प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.04.2026 को जलदाय विभाग की टंकी एवं ट्यूबवेल नहीं हटाने के निर्देश दिये है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के मुकदमा संख्या 05/2024 निर्णय दिनांक 24.02.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को माननीय मुख्य न्यायधीश राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 02.04.2026 की प्रति के साथ भिजवाये कि इस अनुसार पत्रावली में गुणावगुण पर अपीलान्टस एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, नवलगढ को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण शर्मा)
जिला कलक्टर, झुंझुनू